

राजस्थान सरकार  
शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक: प.1(28)शिक्षा-6/2015

जयपुर, दिनांक :- 16.08.2018

-: आदेश :-

संस्कृत शिक्षा विभाग के निम्नलिखित प्राचार्य/व्याख्याता, महाविद्यालय का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित विवरणानुसार किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पद	विषय	पदस्थापन स्थान	नवीन पदस्थापन स्थान	वि. वि.
1	डॉ. सत्यनारायण सांखोलिया	प्राचार्य	-	राजकीय महिला शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, चक, सीकर	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, सालासर, धूरु	पद रिक्त
2	श्री चन्द्रशेखर शर्मा	व्याख्याता	धर्मशास्त्र	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, अलवर	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, महापुरा, जयपुर	पद रिक्त
3	श्री लालचन्द बोहरा	व्याख्याता	अंग्रेजी	रा.आचार्य सं. कालेज, नीम का थाना, सीकर	रा.आचार्य सं. का. सीकर में श्री विनोद कुमार यादव के स्थान पर	स्वैच्छिक
4	श्री सौरभ अग्रवाल	व्याख्याता	अंग्रेजी	रा.आचार्य सं. महावि. बीकानेर में किया गया स्थानान्तरण निरस्त कर	रा.शास्त्री सं. महावि. श्रीमधोपुर, सीकर	स्वैच्छिक
5	श्री विनोद कुमार यादव	व्याख्याता	अंग्रेजी	राज. आचार्य महावि. सीकर	रा. आचार्य सं. महावि. बीकानेर श्री सौरभ अग्रवाल के स्थान पर	स्वैच्छिक
6	श्री मती आराधना सारवान	व्याख्याता	हिन्दी	रा.संस्कृत महावि. कोटकासिम, अलवर में किया गया स्थानान्तरण निरस्त कर	रा.शास्त्री सं. महावि. अलवर में सामा.संस्कृत के पद विरुद्ध	स्वैच्छिक

जिन प्राचार्य/व्याख्याता, महाविद्यालय का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किया गया है, उन्हें नियमानुसार खाना भत्ता एवं योगकाल देय होगा। समस्त प्राचार्य/व्याख्याता, महाविद्यालय का दिनांक 23.08.2018 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करना होगा। परीक्षार्थी प्राचार्य/व्याख्याता, महाविद्यालय के संबंध में परीक्षा अवधि तक उक्त आदेश प्रभावी नहीं होगा। आर.वी.आर.ई.एस. योजना के अन्तर्गत कार्यरत प्राचार्य/व्याख्याता, महाविद्यालय को शहरी क्षेत्र के महाविद्यालयों एतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। जिन प्राचार्य/व्याख्याता, महाविद्यालय का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किया गया है तथा उनकी सेवानिवृत्ति में एक वर्ष या उससे कम की अवधि शेष है उन्हें कार्यमुक्त न किया जावे और न ही वे स्वयं कार्यमुक्त हों।

34) ✓  
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीया मंत्री, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त स्थानान्तरण सूची को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
4. संबंधित प्राचार्य/व्याख्याता, महाविद्यालय, द्वारा निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

अनुभागाधिकारी

राजस्थान सरकार

निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर.

क्रमांक:-निसंशि/संस्था-1/II./2018/34106-123 दिनांक:- 16-08-2018

राज्य सरकार द्वारा जारी उक्त स्थानान्तरण आदेशों की तत्काल पालना सुनिश्चित की जाकर कार्यमुक्ति/कार्यारम्भ की सूचना निदेशालय को प्रेषित करवाई जाए ।

निदेशक,  
संस्कृत शिक्षा, राजस्थान,  
जयपुर.